—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :—

पीठासीन अधिकारी :— श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 74/2017

उनवान

1. लाला पुत्र हरजी जाति खाती निवासी ग्राम जसवंतपुरा, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :— जरियें राज0 पैरोकार
2. कल्याण पुत्र हरजी जाति खाती निवासी ग्राम जसवंतपुरा, नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955 व धारा 136 भू. राज. अधि. 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 4.1.19

वाद के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 881 मिन रकबा 0—10—0 व 881 मिन रकबा 0—11—0 कुल 1—1—0 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी की आवंटन नियमनशुदा है। उक्त आराजी दिनांक 3.6.93 को गैर खातेदारी व नामान्तकरण संख्या 60 दिनांक 28.12.01 से खातेदारी दी गयी। आवंटन नियमन से पूर्व ही उक्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

किन्तु हाल खसरा नम्बर 1039/1535 रकबा 0.21 की आराजी को गैर कानूनी तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया। अतः उक्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज दुरूस्त कर वंर्किग जमाबंदी अनुसार वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
——वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में लाला पुत्र हरजी के बयान दर्ज करवाये व राजस्व अभिलेख प्रदर्श 1 से 7 पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

राज0 पैरोकार ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नही कर जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी को विधिवत आवंटन हुयी थी। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर की आराजी सिवायचक दर्ज कर दी अतः आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी को वंर्किग जमाबंदी अनुसार खातेदार घोषित किया जावे। उक्त आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नही हुआ है। वादी को पूर्व राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी व कब्जे के आधार पर खातेदारी दी गयी। अतः वाद वादी के पक्ष में स्वीकार कर निर्णय व डिक्री पारित की जावे।

राज0 पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। वादी द्वारा अपना कब्जा सिद्व करने के लिये कोई ठोस दस्तावेज व आवंटन पत्र पेश नही किया है। अतः वाद खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 881 मिन रकबा 0-10-0 व 881 मिन रकबा 0-11-0 कुल 1-1-0 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी को नियमन हुयी थी। नामान्तकरण संख्या 136 दिनांक 11.692 से उक्त आराजी पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी को गैर खातेदारी दी गयी एवं उक्त नामान्तकरण का नोट तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में भी विधिवत रूप से किया गया। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना किये जाने व कब्जा काश्त होने के कारण ही नामान्तकरण संख्या 60 दिनांक 28.12.1 से आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये गये। उक्त **नामान्तकरण संख्या 60 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश कमांक शि0 लोहरवाडा/01/121 दिनांक 28.12.01** द्वारा वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने का निर्देश पटवारी हल्का को दिया गया। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया है कि वादी ने अपना कब्जा सिद्व करने के लिये दस्तावेज पेश नही किये है। किन्तु प्रदर्श 3 नामान्तकरण संख्या 60 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी द्वारा आवंटन/नियमन शर्तो की पालना की जाने व मौके पर कब्जा काश्त होने के कारण ही उन्हे उक्त आराजी पर नियमानुसार गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दियें गये। वर्किग जमाबंदी में भी खसरा नम्बर 881 मिन रकबा 1-1-0 पहले गैर खातेदारी व बाद में खातेदारी के रूप में वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी के नाम दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 881 मिन रकबा 0-11-0 खाता संख्या 150 में अनिल पुत्र कल्याणमल वगै के नाम दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 881 के हाल खसरा नम्बर 1039/1535 रकबा 0.21, 1037 रकबा 0.17, 1039 रकबा 0.33 व 1038 रकबा 0.18 बने है। हाल खसरा नम्बर 1037 रकबा 0.17 हाल राजस्व अभिलेख में अनिल पुत्र कल्याणमल वगै के नाम पूर्व अनुसार ही दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 1038 रकबा 0.18 व 1039 रकबा 0.33 जडाव पत्नी हंगामा वगै0 के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज है। जबकि हाल खसरा नम्बर 1039/1535 रकबा 0.21 को बंदोस्त विभाग ने सिवायचक दर्ज कर दिया है। जबकि वंर्किग खसरा नम्बर 881 के अन्य रकबे के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1039/1535 भी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी के नाम खातेदारी दर्ज होना था। किन्तु हाल राजस्व अतिभलेख में उक्त आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण रूप से सिवायचक दर्ज कर दी गयी। राज0 पैरोकार ने कथन किया है कि

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

वादी ने आवंटन/नियमन आदेश पत्रावली में पेश नही किया है किन्तु उक्त आवंटन/नियमन की पालना तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की जा चुकी है एवं उसके बाद विधिक प्रावधानों की पालना करते हुये गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार भी दिये गये है। राज0 पैरोकार ने अपने जवाब दावे में वाद के खण्डन हेतु कोई ठोस तथ्य पेश नही किये है। ना ही वादी के नियमन/आंवटन बाबत कोई चाराजोही किसी न्यायलय में की है। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने मात्र के कारण वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के नियमन व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिसके आधार पर बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी की खातेदारी में से हटायी है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। इस कथन की पुष्टि विभिन्न न्यायलयो द्वारा पारित सिद्धान्त यथा " settlement department had no right to change the existing entiries and can not change the kind of land or rights of parties in the land" से भी होती है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी व प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती प्राप्त करने के अधिकारी है। किन्तु वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी वंर्किग खसरा नम्बर 881 मिन के 1–1–0 रकबे पर ही खातेदार थे। अतः उसी अनुरूप हाल खसरा नम्बर 139/1535 रकबा 0.21 में से 0.17 रकबे पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी संख्या 1 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम जसवन्तपुरा की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1039/1535 रकबा 0.21 में से 0.17 की आराजी पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

लाला बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि.1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 74/2017
पेश करने की दिनांक – 5.5.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम जसवन्तपुरा की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1039/1535 रकबा 0.21 में से 0.17 की आराजी पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक कोअदा करे।

बअखत, दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक ५ माह (सन् 2019 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner